संसदीय कार्य मंत्रालय

बजट सत्र 2025 से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति

संसद का बजट सत्र, 2025, जो शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 से शुरू हुआ था, शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच दोनों सदन गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को मध्यावकाश हेतु स्थगित कर दिए जाने के बाद सोमवार, 10 मार्च, 2025 को पुनः समवेत हुए थे ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें और उन पर अपनी रिपोर्ट दे सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों की कुल 9 बैठकें हुईं थी। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं।

3. यह वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार 31 जनवरी, 2025 को संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया था। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पेश किया था और श्री रविशंकर प्रसाद ने इसका समर्थन किया था। इस मद पर लोक सभा में 12 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 23 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में 173 सदस्यों ने भाग लिया था। राज्य सभा में इसे श्रीमती किरण चौधरी ने पेश किया और श्री नीरज शेखर ने इसका समर्थन किया था। इस मद पर राज्य सभा में 15 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 21 घंटे 46 मिनट तक चर्चा की गई। चर्चा में 73 सदस्यों ने भाग लिया था। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और माननीय प्रधान मंत्री के उत्तर के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया।

4. वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट शनिवार, 1 फरवरी, 2025 को पेश किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोक सभा में 12 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 16 घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और 169 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया तथा राज्य सभा इस पर 15 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 56 मिनट चर्चा हुई और चर्चा में 89 सदस्यों ने भाग लिया।

5. सत्र के दूसरे भाग के दौरान लोक सभा में रेल, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को सदन में मतदान हेतु रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21.03.2025 को ही लोक सभा में पुरःस्थापित, विचार और पारित कर दिया गया।

6. केंद्र के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच; वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा वर्ष 2025-26 के लिए लेखानुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को भी 11.03.2025 को लोक सभा में पारित किया गया।

7. वित्त विधेयक, 2025 लोक सभा द्वारा 25.03.2023 को पारित किया गया।

8. राज्य सभा में शिक्षा, रेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई।

9. राज्य सभा ने केंद्र के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच; वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा वर्ष 2025-26 के लिए लेखानुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को 18.03.2025 को लौटा दिया।

10. वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, 2025 को राज्य सभा द्वारा भी 27.03.2025 को लौटा दिया गया।

11. इस प्रकार संसद के सदनों में संपूर्ण वित्तीय कार्य 31 मार्च, 2025 से पहले पूरा कर लिया गया।

12. मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को भी दोनों सदनों में क्रमश: 3 और 4 अप्रैल, 2025 को स्वीकृत किया गया।

13. संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। जबकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को भी निरस्त कर दिया गया।

14. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाने की मांग करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान करता है, राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए "शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के गठन का प्रावधान करता है और राज्य सरकार द्वारा "राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल" के गठन का प्रावधान करता है।

15. "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 भी पारित किया गया जो "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है, जो सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराएगा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ संचालित करेगा। यह डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा और सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित करेगा।

16. भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए कानूनों को सरल बनाने और वीज़ा और पंजीकरण की आवश्यकता सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पारित किया गया है।

17. बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पारित किया गया ताकि शासन मानकों में सुधार हो, बैंकों द्वारा आरबीआई को रिपोर्टिंग में स्थिरता प्रदान की जा सके, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और नामांकन आदि के संबंध में ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके।

18. इस सत्र के दौरान, कुल 11 विधेयक (लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 1) पुर:स्थापित किए गए। 16 विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए गए और 14 विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या 16 है।

19. लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

20. बजट सत्र, 2025 के दौरान लोक सभा की उत्पादकता लगभग 118% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 119% रही।

***

अनुलग्नक

18वीं लोक सभा के चौथे सत्र और राज्य सभा के 267वें सत्र (बजट सत्र, 2025) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

1. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2025
2. "त्रिभुवन" सहकारी युनिवर्सिटी विधेयक, 2025
3. आय कर विधेयक, 2025
4. आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025
5. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025
6. विनियोग विधेयक, 2025;
7. मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025
8. मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025
9. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2025
10. भारतीय पत्तन विधेयक, 2025.

2. राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025

3. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. वहन-पत्र विधेयक, 2025
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025
3. विनियोग विधेयक, 2025
4. मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025
5. मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025
6. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2025
7. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2025
8. वित्त विधेयक, 2025
9. बायलर विधेयक, 2025
10. "त्रिभुवन" सहकारी युनिवर्सिटी विधेयक, 2025
11. आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025
12. समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024
13. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
14. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025
15. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025
16. वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयक

1. रेल (संशोधन) विधेयक, 2025
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025
3. विनियोग विधेयक, 2025

4. मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025
5. मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025
6. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025
7. बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025
8. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2025
9. वित्त विधेयक, 2025
10. वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025
11. "त्रिभुवन" सहकारी युनिवर्सिटी विधेयक, 2025
12. आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025
13. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
14. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025

5. **दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक**

1. रेल (संशोधन) विधेयक, 2025
2. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2025
3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025
4. विनियोग विधेयक, 2025
5. मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025
6. मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025
7. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025
8. बायलर विधेयक, 2025
9. बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025
10. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2025
11. वित्त विधेयक, 2025
12. "त्रिभुवन" सहकारी युनिवर्सिटी विधेयक, 2025
13. आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025
14. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
15. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025
16. वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025

***